

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :-097/2024

1. गुरतेजसिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

- - वादी

बनाम्

1. सुखमन्द्रसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. प्रदीप सिंह पुत्र जगतेजसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सुखदीपकौर पत्नी जगतेजसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 16.8.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.8.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क). वादी गुरतेजसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 31/91 में कुल 4.262 है० में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 599/4262 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 213/2113 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 सुखदीपकौर का 213/2113 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा।

चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 32/34 में कुल 1.012 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 1/20 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/40 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/40 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा

चक 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 33/33 में कुल 5.060 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 1/40 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/80 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/80 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा।

चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 90/227 में कुल 17.963 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 245/35926 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 61/17963 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 सुखदीपकौर का 61/17963 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 52/18 में कुल 2.277 हैक्टर में से

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी



प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द सिंह का 1/10 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/20 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/20 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा।

चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 63/51 में कुल 0253 हेक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द सिंह का 1/24 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/24 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/24 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा।

चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 164/75 में कुल 3289 हेक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द सिंह का 15/3289 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 15/3289 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 15/3289 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द सिंह को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर को 40है040 1/2 हिस्सा प्राप्त ज़राजी - चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 34/35 में कुल 0506 हेक्टर में से वादी गुरतेजसिंह का 1/5 हिस्सा, चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 202/32 में कुल 1265 हेक्टर में से वादी गुरतेजसिंह का 1/5 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 30/37 में कुल 1265 हेक्टर में वादी गुरतेजसिंह का 1/5 हिस्सा।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 31/91, खाता संख्या 32/34, खाता संख्या 33/33, 90/227, चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 52/18, खाता संख्या 63/51, खाता संख्या 164/75 में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा कम, चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 34/35, खाता संख्या 202/32, खाता संख्या 30/37 में से वादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति मुप्ता) एड
उपसहायक अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शा के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---